कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।

पत्रांक– 2546 /12–1, दिनांक, कालसी, 07-03- 2026

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

विषय : **जनपद–देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्टा की माजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला–मल्लावाला–II से पीपलसार तक भूड़ से मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 3.955 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ : वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय का पत्रांक–1986 / 12–1, दिनांक 09.01.2026 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक–756 / 24सी, दिनांक 23.02.2026.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण हेतु विचाराधीन है। वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सापेक्ष कतिपय बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है तथा आपके कार्यालय के सन्दर्भित पत्र से आपत्ति का निराकरण कर पत्र इस कार्यालय को प्रेषित किया गया, जिसका अवलोकन करने पर निम्न कमी पायी गयी–

बिन्दु	वन संरक्षक द्वारा निर्गत आपत्ति	प्रत्युत्तर	परीक्षण उपरान्त पायी गयी कमियां
3	वर्तमान में ग्राम वासियों के आवागमन के मार्ग की जानकारी प्रस्तुत करते हुये के०एम० एल० फाईल पर अंकित किया जाए।	ग्रामवासियों के आवागमन के सम्बन्ध में आख्या पूर्व में दी जा चुकी है। सम्पूर्ण मार्ग का के०एम०एल० पूर्व में ही पार्ट–1 में अपलोड किया जा चुका है।	पूर्व में अपलोड की गई के0एम0एल0 में वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित समरेखण को ही दर्शाया गया है, किन्तु उच्च स्तर द्वारा प्रस्तावित समरेखण में आने वाले ग्रामों को भी के0एम0एल0 फाईल में दर्शाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रस्तावित समरेखण में आने वाले ग्रामों को के0एम0एल0 फाईल में पॉलिगन के रूप में दर्शाते हुए संशोधित के0एम0एल0 ऑनलाईन प्रस्ताव में अपलोड की जाये।

अतः उपरोक्त बिन्दु पर लगाई गई आपत्ति का निराकरण करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण ससमय उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

भवदीय,

OIC

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

Draftsman New
(Raju)